(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	वनाम	विप्रार्थीगण
हुकमाराम पुत्र जयराम जाति जाट, निवासी हरदासनगर तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)		भोमाराम पुत्र चिमाराम जाति मेघवाल, निवासी धनोणी मेघवालों की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (22)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 111, 128) मुकदमा नम्बर 264/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.2024	प्रार्थी/वादी/अपीलाण्ट के अधिवक्ता **नरेन्द्रसिंह सियाग** ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा **111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम** के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट जरिये नोटिस/सम्मन तलव होकर पत्रावली वास्ते जवाव आईन्दा दिनांक 09.10.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	रजिस्टर्ड डाक 4467–4488 21.08.2024
9.10.24	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 4.11.24 को पेश हो।	
4.11.24	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस की डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली विप्रार्थीगण का इन्तजार होकर दिनांक 13.01.25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी शिव	
13.1.25	पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 5.3.25 को पेश हो।	
5.3.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई [illegible] कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दि॰ 28.4.25 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:52:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.05.2025		

पत्रावली पेश हुई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह सियाग उपस्थित।

विप्रार्थीगण नोटिस तामील होने के बावजूद अनुपस्थित। अतः विप्रार्थी संख्या 01 से 22 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया कि प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार हैं और रिकार्डड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है। जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे स्पष्ट हो कि विवादित भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही पूर्व में हो रखी हो। ऐसी सूरत में नेखमबंदी करने से पूर्व विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक है। अतः उक्त भूमि की सीमाज्ञान कार्यवाही करने के बाद नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा हरदास नगर, तहसील शिव में अवस्थित खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 635, 1121/635, 1120/635, 623, 1109/623 रकबा क्रमशः 12.6100, 1.7806, 0.1862, 7.8023, 0.0809 हैक्टेयर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करें। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जायेगा। तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु **भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को पूर्व में जरीये नोटिस/पत्र से सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावें। कमिश्नर शुल्क 500/– प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। आवश्यकता होने पर **एस.एच.ओ. शिव** से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। **भू–अभिलेख निरीक्षक कानासर** बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.06.04 14:52:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner